रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4435] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 2018/कार्तिक 14, 1940
No. 4435] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2018/KARTIKA 14, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5647(अ).— अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

कान्हा बाघ रिज़र्व में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फेन वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। यह मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है और फेन वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 110.74 वर्ग किलोमीटर है। अत: कान्हा बाघ रिज़र्व का कुल क्षेत्रफल 1050.74 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित क्षेत्र में मध्य भारतीय पहाड़ी के पास विशिष्ट वनस्पतियों और जीवजंतुओं की बृहत् श्रृंखला है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फेन वन्यजीव अभयारण्य की सीमाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच अंतर-राज्यीय सीमा बनाती है, जिसकी कुल लम्बाई 49.25 किलोमीटर और 5.35 किलोमीटर है;

और, कान्हा बाघ रिज़र्व (कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फेन वन्यजीव अभयारण्य) के साल और मिश्रित वन स्पष्ट वनस्पति आच्छादनों के साथ उत्तम स्थिति में है। जिसमें 10 प्रकार की 850 प्रजातियों के 506 वशों तथा 134 कुलों के पुष्पधारी पौधे 14 वंशों और 14 कुलों के टैरिडोफोइट्स की 22 प्रजातियां है।

और, वनस्पति जैव विविधता में जिम्नोस्पर्म की 2 वंशों कुलों की 2 प्रजातियां तथा लगभग 50 प्रजातियों के जलीय पौधे एवं 18 प्रजातियों के दुर्लभ पौधे भी सम्मिलित हैं।

और, अत्यधिक संकटापन्न बाघ तथा कुछ अन्य मांसभक्षी प्रजातियों की संरक्षण के अतिरिक्त, यह अभयारण्य 9 मुख्य प्रजातियों के हजारों खुरधारी वन्यप्राणियों को आश्रय प्रदान करने वाले उत्तम घास मैदान आवास स्थलों तथा अति संकटग्रस्त कड़ी भूमि के बारहसिंघा के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है।

और, अभयारण्य के मुख्य जीवजंतु में बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस टाइगरिस*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्यूस*), जंगली कुत्ता (*कुओन अल्पाइंस*), रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), बंगाल लोमड़ी (*वुल्प्स बेंगलेंसिस*), बनबिलार (फैलिस चाउस), भेड़िया (*कैनिस ऑरियस*), सियार (*कैनिस लुपुस*), स्वाम्प हिरण (रूकेरवुस दुवाउकेली *बरांदेरी*), भैंसा (*बोस* गौरस), लंगूर (प्रेस्बिटिस इन्तेल्लुस), पायथन(*पायथन मूलयरूस*), मोउस डियर (मोस्चीयला इंडिका), आदि शामिल है;

और, कान्हा बाघ रिज़र्व (कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फेन वन्यजीव अभयारण्य), आसपास के बड़े वन क्षेत्रों के साथ, बाघों की स्त्रोत संख्या के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाघ भू-दृश्य और उत्कृष्ट पारिस्थिति केंद्रक के भाग के रूप में माना जाता है, और कुछ संरक्षित क्षेत्रों के साथ जुड़ाव रखते है। ये वन क्षेत्र क्रमश: पेंच रिज़र्व और अचानकमार बाघ रिज़र्व के साथ सबसे आशाजनक जैविक गलियारे बनाते हैं;

और, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी बफर जोन के अतिरिक्त कान्हा बाघ रिज़र्व का एक भाग है, फेन वन्यजीव अभयारण्य भी प्रशासनिक रूप से कान्हा बाघ रिज़र्व के अधीन है, फेन वन्यजीव अभयारण्य द्वारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के प्राकृतिक पुष्पीय, प्राणीय एवं भौतिक- भौगोलिक गुणक संजोया गया है और यह राष्ट्रीय उद्यान के सूपरवार परिप्रेक्ष्य के उत्तर में स्थिति है। ऐसे उच्च वन्यप्राणी विभव वाले क्षेत्रों विशेष उपचार तथा तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षा दिए जाने की आवश्यकता है। बफर जोन एवं फेन वन्यजीव अभयारण्य आपस में लगे हुए हैं तथा यह गलियारा वन्यप्राणी विचरण के लिए अत्यधिक विभव रखता है। इस गलियारे को छत्तीसगढ़ राज्य में अचानकमार बाघ रिजर्व तक बढ़ाया जा सकता है।

और, कान्हा बाघ रिज़र्व (कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फेन वन्यजीव अभयारण्य) के चारों ओर के क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थिति में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में कान्हा बाघ रिज़र्व (कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फेन वन्यजीव अभयारण्य) की सीमा के चारों 0 किलोमीटर (अंतर्राज्यीय सीमा के कारण) से 30 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कान्हा बाघ रिज़र्व (कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फेन वन्यजीव अभयारण्य) पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1.पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कान्हा बाघ रिज़र्व (कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फेन वन्यजीव अभयारण्य) के चारों ओर शून्य किलोमीटर (अंतर्राज्यीय सीमा की वजह से) से 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 1193.829 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध II** में दिया गया है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमश: **उपाबंध III (क) और (ख)** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका ;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) राजमार्ग;

(xiii) मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगा।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**– मध्य प्रदेश राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट**:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात**:- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण**:- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञा दी होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगे ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर

	स्थापना ।	या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजार्टो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप । (ख) परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
12.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि

		या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	प्लास्टिक थैलों का उपयोग।	प्लास्टिक थैलों का उपयोग।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौंजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
19.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
22.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन/ जैव चिकित्सा अपशिष्ट।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति.- (1) केंद्रीय सरकार, प्रारूप अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का इस अधिसूचना के तीन माह के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1.	संभागीय आयुक्त, जबलपुर	-अध्यक्ष;
2.	जिला कलेक्टर, मंडला / बालाघाट	–सदस्य;
3.	टाउन और कंट्री प्लानिंग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
4.	क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	–सदस्य;
5.	अधीक्षक अभियंता पीएचई, मंडला / बालाघाट	–सदस्य;
6.	जिला पंचायत के सीईओ, मंडला / बालाघाट	–सदस्य;
7.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
8.	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;

9.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ जिसे राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा	–सदस्य;
10.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
11.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
12.	फील्ड निदेशक, कान्हा बाघ रिजर्व, मंडला	–सदस्य सचिव।

6.विचारार्थ विषय:- (i) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(ii) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(iii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(iv) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(v) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(vi) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(vii) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(viii) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/91/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ.सतीश चंद्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर	उमरदीह, मनिकपुर, बनियागांव, अतरचौआ और गनेरी राजस्व ग्रामों की दक्षिणी सीमाओं के साथ और मालानाला और सुलकुम (सूरपन) के संगम के समिया-भागपुर वन ग्राम की उत्तरी सीमा है, इसके बाद सूरपन नदी के साथ और मग़ध राजस्व ग्राम की पश्चिमी और उत्तरी सीमाएं, घोंत और कतंगी राजस्व ग्रामों की दक्षिणी सीमाएं, इसके बाद मूवाला, मोहगांव, तकतुआ, कतंगी; सरही और मंझीपुर राजस्व ग्रामों की उत्तरी सीमाएं है और दूंगरिया, नौसा और गूनेरा की दक्षिणी सीमाएं हैं, हलोन नदी के साथ मिलन बिंदु के मंडला जिला में सीझोरा और करनजिया राजस्व ग्रामों की उत्तरी सीमाओं के साथ है, इसके बाद मंडला-बालाघाट जिलों की अंतर-सीमा बनाने वाली कम्पार्टमेंट संख्याओं 1419, 1418 और 1416 की उत्तरी सीमा है, इसके बाद मजगांव राजस्व ग्राम और कम्पार्टमेंट संख्या 1201 की पश्चिम-दक्षिण-पूर्वी सीमा और कम्पार्टमेंट संख्या 1199 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट संख्या 1195 की दक्षिणी सीमा के साथ होते हुए जाती है, कम्पार्टमेंट संख्या 1196 के मध्य चारों ओर; कम्पार्टमेंट संख्या 1117 की उत्तरी सीमा से होते हुए जाती है, कम्पार्टमेंट संख्या 1338, साथिया ग्राम और कम्पार्टमेंट संख्या 1344, कम्पार्टमेंट संख्या 1346 की उत्तरी सीमा से होते हुए जाती है; मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य सीमा के निकट दियाबर पहाड़ी के घोघरा नाला को पार करके जाती है।
पूर्व	मनोरी वन ग्राम के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अंतर-राज्य सीमा के साथ दक्षिण की ओर फेन वन्यजीव अभयारण्य के कम्पार्टमेंट संख्या 449 से की जाती है, इसके बाद कबीरधाम जिला में बरबसपुर राजस्व ग्राम के निकट राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अंतर-राज्यीय सीमा और जमुनिया नाला के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (छत्तीसगढ़ राज्य की भाग) की सीमा से बाहरी परिधि 2 किलोमीटर के साथ है।
दक्षिण	जमुनिया नाला के साथ, और कबीरधाम जिला में बरबसपुर राजस्व ग्राम के निकट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों की अंतर-राज्य सीमा है, और बंजर नदी और जामुनिया नाला के संगम पर जामुनिया नाला पश्चिम की ओर और भीमा, गूदमा, भरदा, बम्हनी राजस्व ग्रामों की दक्षिणी सीमा के साथ है, इसके बाद गरही-बाईहर सड़क पर कोहका राजस्व ग्राम के निकट तन्नूर नदी है।
पश्चिम	तन्नूर नदी के साथ और तन्नूर और बंजर नदियों को संगम उत्तर की ओर है, इसके बाद बंजर नदी के साथ और कम्पार्टमेंट संख्या 772 के उत्तर की ओर इसके बाद छिरारी और उमरदीह राजस्व ग्रामों की पूर्वी सीमा पर कम्पार्टमेंट संख्या 772,771,343, 342 और 341 की पश्चिमी सीमाएं हैं।

उपाबंध- II

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ कान्हा बाघ रिज़र्व (कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फेन वन्यजीव अभयारण्य) का मानचित्र

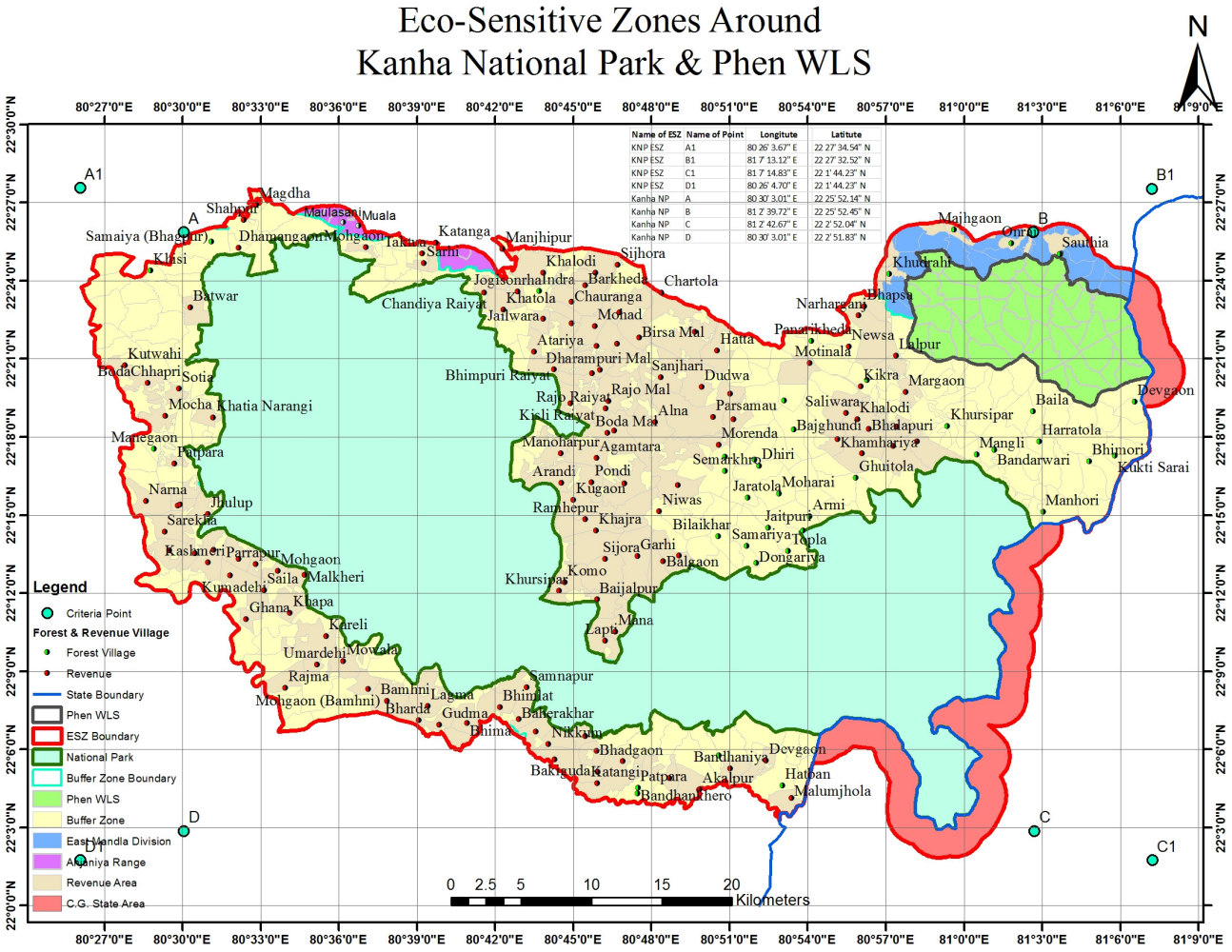

उपाबंध III

सारणी क: कान्हा बाघ रिज़र्व (कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फेन वन्यजीव अभयारण्य), मध्य प्रदेश की सीमा के भू-निर्देशांक (कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फेन वन्यजीव अभयारण्य), मध्य प्रदेश

बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
ए	22⁰25’ 52.14” उ	80⁰30’ 03.01”पू
बी	22⁰25’ 52.45” उ	81⁰02’ 39.72”पू
सी	22⁰02’ 52.04” उ	81⁰02’ 42.67”पू
डी	22⁰02’ 51.83” उ	80⁰30’ 03.01”पू

सारणी ख: कान्हा बाघ रिज़र्व (कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फेन वन्यजीव अभयारण्य), मध्य प्रदेश की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
ए1	22⁰27' 34.54" उ	80⁰26' 03.67"पू
बी1	22⁰27' 32.52" उ	81⁰07' 13.12"पू
सी1	22⁰01' 44.23" उ	81⁰07' 14.83"पू
डी1	22⁰01' 44.23" उ	80⁰26' 04.70"पू

उपाबंध IV

कान्हा बाघ रिज़र्व (कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फेन वन्यजीव अभयारण्य), पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	पारिस्थितिकी संवेदी जोन का नाम	डिवीजन का नाम	ग्राम का नाम	जिला	देशांतर			अक्षांश		
1	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	अगमतारा	बालाघाट	80	45	54.82	22	17	11.39
2	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	अल्ना	बालाघाट	80	48	9.66	22	18	33.93
3	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	अमगहान	बालाघाट	80	51	1.51	22	19	39.53
4	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	अरंडी	बालाघाट	80	44	32.77	22	16	13.92
5	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	आर्मी	बालाघाट	80	54	4.83	22	14	56.91
6	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	अत्तारचुहा	बालाघाट	80	51	10.11	22	18	40.18
7	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बाइजालपुर	बालाघाट	80	45	55.13	22	11	45.21
8	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बजघुंडी	बालाघाट	80	53	28.99	22	18	16.73
9	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बलगांव	बालाघाट	80	48	27.83	22	13	12.66
10	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	भालापुरी	बालाघाट	80	49	4.28	22	13	26.18
11	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बिलेइखेर	बालाघाट	80	50	34.89	22	14	10.38
12	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बोडा मॉल	बालाघाट	80	46	19.36	22	18	8.56
13	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बोडा रैयत	बालाघाट	80	46	34.48	22	18	14.78
14	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	चारटोला	बालाघाट	80	48	23.65	22	23	32.38
15	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	धीरी	बालाघाट	80	52	8.07	22	16	52.78
16	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	डोंगरिया	बालाघाट	80	52	1.46	22	13	9.74
17	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	दुदवा	बालाघाट	80	49	55.78	22	19	54.8
18	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	गढ़ी	बालाघाट	80	47	28.42	22	13	25.48
19	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	घोरसिबेहरा	बालाघाट	80	50	50.13	22	17	13.6

20	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	घुइटोला	बालाघाट	80	55	51.73	22	16	26.29
21	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	जैतपुरी	बालाघाट	80	52	29.93	22	14	30.75
22	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	जाराटोला	बालाघाट	80	51	42.96	22	15	40.33
23	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	जुवादितोला	बालाघाट	80	53	49.59	22	14	24.39
24	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	खजरा	बालाघाट	80	45	53.03	22	14	23.41
25	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	खालोदी	बालाघाट	80	55	54.48	22	18	40.66
26	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	खिरसारी	बालाघाट	80	53	6.48	22	19	23.17
27	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	खुरसिपार	बालाघाट	80	44	27.62	22	12	5.19
28	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	कोलिखापा	बालाघाट	80	49	1.02	22	16	8.57
29	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	कोमो	बालाघाट	80	44	41.43	22	12	24.26
30	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	कुगांओ	बालाघाट	80	45	0.22	22	15	35.07
31	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	कुकर्रा	बालाघाट	80	46	57.95	22	16	12.99
32	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	लपटि	बालाघाट	80	46	13.51	22	10	10.28
33	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	माना	बालाघाट	80	46	37.47	22	10	31.22
34	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मोहाराई	बालाघाट	80	52	54.6	22	15	48.56
35	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मोरेंडा	बालाघाट	80	50	35.48	22	17	41.17
36	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मोरेंडा एफ वी	बालाघाट	80	51	57.64	22	17	7.53
37	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	निवास	बालाघाट	80	48	18.4	22	15	8.6
38	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	पंदुतला	बालाघाट	80	49	40.2	22	22	1.64
39	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	परसमउ	बालाघाट	80	50	23.09	22	18	45.13
40	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	पोंदी	बालाघाट	80	45	42.57	22	16	15.55
41	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	रामहपुर	बालाघाट	80	45	27.44	22	14	50.17
42	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	समारिया	बालाघाट	80	51	39.24	22	13	48.62
43	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	संझारि	बालाघाट	80	48	22.17	22	20	16.78
44	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	समरखरो	बालाघाट	80	50	50.59	22	16	42
45	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	सिजोरा	बालाघाट	80	46	14.44	22	13	18.27
46	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	टोपला	बालाघाट	80	53	15.81	22	13	36.3
47	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बम्हनि	बालाघाट	80	37	51.72	22	7	50.8
48	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	भरदा	बालाघाट	80	39	4.56	22	7	7.34
49	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	भिलेवानि	बालाघाट	80	31	11.44	22	13	39.37
50	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	भीमा	बालाघाट	80	40	55.88	22	7	0.2
51	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	चारेगांव	बालाघाट	80	29	29.42	22	13	37.81

52	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	धनवार रैयात	बालाघाट	80	29	48.96	22	15	21.51
53	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	धनवार थैका	बालाघाट	80	29	54.45	22	15	24.15
54	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	घना	बालाघाट	80	32	27.05	22	10	59.46
55	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	गुदमा	बालाघाट	80	39	51.61	22	6	55.61
56	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	झुलुप	बालाघाट	80	30	58.77	22	15	2.34
57	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	कलेगाओं	बालाघाट	80	32	9.21	22	13	18.55
58	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	करेली	बालाघाट	80	35	31.68	22	10	20.54
59	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	कश्मीरी	बालाघाट	80	30	58.69	22	13	10.22
60	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	खापा	बालाघाट	80	34	7.88	22	11	14.68
61	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	कुमदेही	बालाघाट	80	31	50.17	22	12	40.46
62	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	लगमा	बालाघाट	80	39	24.96	22	7	39.24
63	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मेलखेरी	बालाघाट	80	34	41.28	22	12	41.31
64	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मोहगांव	बालाघाट	80	33	39.78	22	12	51.23
65	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मोहगांव (बम्हनि)	बालाघाट	80	37	8.49	22	8	18.49
66	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मोवाला	बालाघाट	80	36	10.98	22	9	22.25
67	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	नरना	बालाघाट	80	28	36.07	22	15	31.54
68	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	पर्रापुर	बालाघाट	80	32	48.51	22	13	6.32
69	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	परसाटोला	बालाघाट	80	30	28.24	22	13	31.82
70	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	राजमा	बालाघाट	80	33	57.47	22	8	21.61
71	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	सैला	बालाघाट	80	33	9.04	22	12	6.95
72	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	सरेखा	बालाघाट	80	29	19.01	22	14	21.79
73	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	उमारदेही	बालाघाट	80	35	10.08	22	9	15.22
74	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	अकालपुर	बालाघाट	80	49	50.66	22	4	26.87
75	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बहेराखेरा	बालाघाट	80	42	54.36	22	7	9.79
76	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बकिगुड़ा	बालाघाट	80	44	17.89	22	5	36.77
77	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बेलगांव	बालाघाट	80	45	28.54	22	6	30.34
78	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बंधानिया	बालाघाट	80	51	1.72	22	5	15.23
79	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बंधनखेरो	बालाघाट	80	47	28.59	22	4	17.88
80	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बसिंखेर	बालाघाट	80	43	34.7	22	6	40.38
81	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	भड़गाओं	बालाघाट	80	45	54.4	22	5	55.65
82	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	भिमलात	बालाघाट	80	42	11.42	22	7	36.85
83	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	देवगांव	बालाघाट	80	52	24.83	22	5	34.18

84	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	हटबन	बालाघाट	80	53	2.35	22	4	36.73
85	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	जयरासि	बालाघाट	80	48	41.95	22	4	53.42
86	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	जयसिघटोला	बालाघाट	80	45	56.59	22	5	8.08
87	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	अटंगि	बालाघाट	80	45	55.9	22	4	40.81
88	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मलुमझोला	बालाघाट	80	53	23.53	22	4	7.21
89	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	निक्कुम	बालाघाट	80	44	3.03	22	6	11.18
90	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	पंदरापानी	बालाघाट	80	46	54.38	22	5	32.36
91	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	पटपारा	बालाघाट	80	47	29.57	22	4	31
92	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	समनापुर	बालाघाट	80	43	13.09	22	8	22.91
93	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	सरईपतेरा	बालाघाट	80	50	36.02	22	5	45.92
94	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	हट्टा	मंडला	80	50	32.35	22	21	19.52
95	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बतवार	मंडला	80	30	18.24	22	22	58.76
96	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बोडा छापरी	मंडला	80	28	39.44	22	20	3.62
97	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	धामंगांव	मंडला	80	32	9.76	22	25	15.42
98	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	खाटिया नारांगि	मंडला	80	31	11.21	22	18	44.05
99	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	खिसि	मंडला	80	28	47.06	22	24	24.05
100	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	कुटवाही	मंडला	80	27	47.72	22	20	45.33
101	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मेहेगांव	मंडला	80	28	54.03	22	17	32.81
102	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मोचा	मंडला	80	29	20.83	22	18	48.8
103	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	पटपारा	मंडला	80	29	42.17	22	16	58.2
104	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	समईया (भागपुर)	मंडला	80	31	7.32	22	25	29.71
105	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	सोतिया	मंडला	80	29	51.7	22	19	50.65
106	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बईलस	मंडला	81	2	39.75	22	18	59.32
107	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बंदरवारी	मंडला	81	1	10.87	22	17	29.31
108	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	भालापुरी	मंडला	80	56	20.94	22	18	18.26
109	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	भाप्सा	मंडला	80	56	11.18	22	23	0.84
110	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	भिम्दोंगरि	मंडला	80	58	12.81	22	17	49.65
111	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	भिमोरी	मंडला	81	4	48.74	22	17	3.05
112	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	देवगांव	मंडला	81	6	33.44	22	19	20.91
113	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	हर्राटोला	मंडला	81	2	53.92	22	17	49.24
114	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	खुरसिपार	मंडला	80	59	22.42	22	18	24.75
115	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	किकरा	मंडला	80	56	3.55	22	19	56.09

116	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	किकरा (खाकसटंड)	मंडला	80	56	17.22	22	20	10.96
117	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	कुकति सराई	मंडला	81	5	47.85	22	17	16.12
118	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	लालपुर	मंडला	80	57	23.56	22	21	6.75
119	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मंगली	मंडला	81	0	29.76	22	17	19.84
120	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मंहोरी	मंडला	81	3	2.51	22	15	7.55
121	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मरगांव	मंडला	80	57	45.94	22	19	43.49
122	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मोटिनाला	मंडला	80	54	4.90	22	20	50.26
123	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	नरहरगंज	मंडला	80	55	58.21	22	22	39.71
124	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	नवसा	मंडला	80	55	35.61	22	21	27.7
125	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	पनरीखेड़ा	मंडला	80	54	9.2	22	21	41.03
126	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	अटरिया	मंडला	80	43	30.65	22	21	15.91
127	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बरखेडा	मंडला	80	45	27.72	22	23	48.83
128	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	भीमपुरी रैयात	मंडला	80	44	16.02	22	20	35.2
129	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	बिरसा माल	मंडला	80	47	32.05	22	21	48.45
130	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	चंदगांव रैयात	मंडला	80	56	5.64	22	17	21.75
131	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	चंदीया रैयात	मंडला	80	41	35.25	22	23	32.94
132	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	चटुआखार	मंडला	80	44	57.19	22	22	21.32
133	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	चौउरांगा	मंडला	80	44	56.03	22	23	11.09
134	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	धरमपुरी माल	मंडला	80	46	2.00	22	20	34.85
135	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	धरमपुरी रैयात	मंडला	80	45	43.53	22	20	26.32
136	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	इंद्रा	मंडला	80	43	42.05	22	23	36.9
137	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	इंदरी रैयात	मंडला	80	57	17.74	22	17	39.32
138	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	जैलवरा	मंडला	80	43	50.52	22	22	31.97
139	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	जोगिसोंरहा	मंडला	80	42	52.26	22	23	34.57
140	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	करंजिया	मंडला	80	46	47.13	22	22	46.78
141	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	कटंगा	मंडला	80	39	43.15	22	25	27.15
142	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	खलोदी	मंडला	80	43	51.66	22	24	18.5
143	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	खलोदी रैयात	मंडला	80	45	51.36	22	24	18.58
144	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	खमहरिया	मंडला	80	55	8.73	22	17	55
145	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	खटोला	मंडला	80	42	19.08	22	22	53.15
146	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	किसली रैयात	मंडला	80	44	54.64	22	19	17.26
147	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मगधा	मंडला	80	32	49.78	22	26	54.88

148	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मंगवेली माल	मंडला	80	46	41.51	22	21	34.56
149	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मंगवेली रैयात	मंडला	80	45	53.89	22	21	29.84
150	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मांझीपुर	मंडला	80	42	17.18	22	25	13.55
151	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मनोहरपुर	मंडला	80	44	31.37	22	17	21.39
152	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मोहद	मंडला	80	45	49.73	22	22	15.07
153	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मोहगांव	मंडला	80	37	2.31	22	25	17.3
154	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	मुरकुटा रैयात	मंडला	80	57	24.77	22	18	23.94
155	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	राजो माल	मंडला	80	46	21.97	22	19	22.97
156	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	राजो रैयात	मंडला	80	46	15.25	22	19	5.6
157	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	सलिवारा	मंडला	80	55	29.29	22	18	54.77
158	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	सरहि	मंडला	80	39	16.25	22	24	40.09
159	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	शाहपुर	मंडला	80	32	21.57	22	26	19.5
160	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	सिझोरा	मंडला	80	46	42.23	22	24	36.2
161	कान्हा	मध्यवर्ती क्षेत्र	तकटुअ	मंडला	80	39	11.95	22	25	3.33
162	कान्हा	पूर्वी मंडला	मौलसनि	मंडला	80	36	09.90	22	26	16.40
163	कान्हा	पूर्वी मंडला	मौला	मंडला	80	36	46.39	22	26	8.24
164	फेन	पूर्वी मंडला	मझगांव	मंडला	80	59	37.56	22	25	58.01
165	फेन	पूर्वी मंडला	खुदराही	मंडला	80	57	8.42	22	24	16.01
166	फेन	पूर्वी मंडला	साउथिया	मंडला	81	3	40.72	22	25	1.32
167	फेन	पूर्वी मंडला	ओराई	मंडला	81	1	49.51	22	25	26.82

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30 October, 2018

S.O. 5647(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS the Kanha Tiger Reserve comprises of Kanha National Park and the Phen Wildlife Sanctuary. It is located in the Mandla and Balaghat districts of Madhya Pradesh. The area of the Kanha National Park is 940 square kilometres and that of the Phen Wildlife Sanctuary is 110.74 square kilometers. Hence total area of Kanha Tiger Reserve is **1050.74 square kilometres**. The Protected Area possesses a wide range of typical floral and faunal attributes of the central Indian highlands. The boundaries of the Kanha National Park and the Phen Wildlife Sanctuary form the inter-state boundary between Madhya Pradesh and Chhattisgarh, with a total length of 49.25 kilometres and 5.35 kilometres;

AND WHEREAS, the Sal and miscellaneous forests of the Kanha Tiger Resrve (Kanha National Park and the Phen Wildlife Sanctuary) is in an excellent condition with several clear vegetal cover types, and with 850 species of 10 varieties of Angiosperms belonging to 506 genera and 134 families, and 22 species of Pteridophyte belonging to 14 genera and 14 families;

AND WHEREAS, the floral diversity also includes 2 species of Gymnosperm belonging to 2 genera and 2 families, with around 50 species of aquatic plants and 18 species of rare plants;

AND WHEREAS, besides conserving the highly endangered tiger and some other carnivore species, the Sanctuary is also renowned for its excellent grassland habitats sustaining thousands of ungulates of at least 9 major species, including the highly endangered hard ground barasingha;

AND WHEREAS, major fauna of the sanctuary include Tiger (*Panthera tigris tigris*), Leopard (*Panthera pardus*), Wild Dog (*Cuon alpinus*), Sloth Bear (*Melursus* ursinus), Bengal Fox (*Vulpes bengalensis*), Jungle cat (*Felis chaus*), Wolf (*Canis aureus*), Jackal (*Canis lupus*), Swamp Deer (*Rucervus duvaucelii branderi*), Gaur (*Bos gaurus*), Langur (*Presbytis entellus*), Python (*Python molurus*), Mouse Deer (*Moschiola indica*), etc.;

AND WHEREAS the Kanha Tiger Reserve (Kanha National Park and the Phen Wildlife Sanctuary), with surrounding large forested areas, are regarded as parts of a very important tiger landscape and excellent ecological nucleus for the source population of tigers, and fragmentally connected with a few protected areas. They command by far the most promising biological connectivity with the Pench Tiger Reserve and the Achanakmar Tiger Reserve respectively;

AND WHEREAS the Kanha National Park is a part of the Kanha Tiger Reserve in addition to the Buffer Zone, the Phen Wildlife Sanctuary is also administratively under the Kanha Tiger Reserve. The Phen Wildlife Sanctuary harbours typical floral, faunal and physiographical attributes of the Kanha National Park, and lies to the north of the Supkhar range of the park. Such high potential wildlife areas require a special treatment along with a corridor connectivity linking the adjacent wildlife protected areas enjoying a relatively higher degree of protection. Presently, the Kanha National Park, the Buffer Zone and the Phen Wildlife Sanctuary are contiguous to each other, and this corridor has tremendous potential for animal movement. This corridor may also be extended through the Chhattisgarh State to the Achanakmar Tiger Reserve;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Kanha Tiger Reserve (Kanha National Park and the Phen Wildlife Sanctuary) as Eco Sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent ranging from Zero kilometres (due to interstate boundary) to 30 kilometres around the boundary of Kanha Tiger Reserve (Kanha National Park and the Phen Wildlife Sanctuary) in the State of Madhya Pradesh as the Kanha Tiger Reserve (Kanha National Park and the Phen Wildlife Sanctuary) Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from Zero kilometres (due to interstate boundary) to 30 kilometres around the Kanha Tiger Reserve (Kanha National Park and the Phen Wildlife Sanctuary). The area of the Eco-Sensitive Zone is 1193.829 square kilometers.

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure I.**

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure II.**

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III (A) and (B)** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. - (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways;

(xiii) Madhya Pradesh State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government. - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use. –

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given in paragraph 4:

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all-natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the protected area or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage. -**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites. -**Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. -** The Environment Department of the State Government or Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) **Air pollution. -** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents. -** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste. -** Bio-medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28th March,2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of biomedical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management**. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(15) **Vehicular Pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units. -**(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone:

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife(Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing Mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills and wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable law.
Regulated activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist

		activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable:
10.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification: (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
12.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
13.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce	Regulated under applicable laws.

	(NTFP).	
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
16.	Use of plastic bags.	Regulated under applicable laws.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management /Bio-medical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.

32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals .	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby within three months of this Notification constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of the draft notification, comprising of the following, namely:-

1.	Divisional Commissioner, Jabalpur	Chairman;
2.	District Collector, Mandla/Balaghat	Member;
3.	Representative of Town and Country Planning Department	Member;
4.	Regional Officer, Madhya Pradesh Pollution Control Board-	Member;
5.	Superintendent Engineer PHE, Mandla/Balaghat	Member;
6.	CEO of District Panchayat, Mandla/Blaghat	Member;
7.	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
8.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
9.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
10.	A representative from State Public Works Department	Member;
11.	A representative from State Pollution Control Board	Member;
12.	Field Director, Kanha Tiger Reserve, Mandla	Member Secretary.

6. Terms of Reference. –

(i) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(ii) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(iii) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-

specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(iv) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(v) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(vi) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(vii) Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in **Annexure V**.

(viii) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/91/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	Along the southern boundaries of revenue villages Umardih, Manikpur, Baniagaon, Atarchua and Ganeri, and the northern boundary of forest village Samiya-Bhagpur upto the confluence of the Malanala and Sulkum (Surpan), thereafter along the Surpan river and the western and northern boundaries of revenue village Magdha, the southern boundaries of revenue villages Ghont and Katangi, thereafter the northern boundaries of revenue villages Muwala, Mohgaon, Taktua, Katangi, Sarhi and Manjhipur, and the southern boundaries of Dungaria, Neosa and Gunera, along the northern boundaries of revenue villages Sijhora and Karanjia in the Mandla district upto the meeting point with the Halon river, thereafter the northern boundaries of compartment numbers 1419, 1418 and 1416 forming the inter-boundary of the Mandla-Balaghat districts, thereafter to revenue village Majgaon and running along the west-south-eastern boundary of compartment number 1201 and the northern boundary of compartment number 1199, the southern boundary of compartment number 1195, running through around the centre of the compartment number 1196, the

	northern boundary of compartment number 1117, through compartment number 1338, village Sathiya and compartment number 1344, the northern boundary of compartment number 1346, crossing the Ghoghra nala upto the Diyabar hill near the Madhya Pradesh-Chhatisgarh State boundary.
East	From compartment number 449 of the Phen wildlife sanctuary towards south along the interstate boundary of Madhya Pradesh and Chhattisgarh upto forest village Manori, thereafter along the 2 km. outer periphery from the boundary of the Kanha national park (part of the Chhattisgarh state) upto the Jamunia nala, and the inter-state boundary of the Madhya Pradesh and Chhattisgarh states near the Barbaspur revenue village in the Kabirdham district.
South	Along the Jamunia nala, and the inter-state boundary of Madhya Pradesh and Chhattisgarh states near the Barbaspur revenue village in the Kabirdham district, and along the west flowing Jamunia nala upto the confluence of the Banjar river and Jamunia nala, thereafter along the Banjar river westwards and the southern boundaries of revenue villages Bhima, Gudma, Bharda, Bamhni, thereafter upto the Tannor river near the Kohka revenue village on the Garhi-Baihar road.
West	Along the Tannor river and northwards upto the confluence of the Tannor and Banjar rivers, thereafter along the Banjar river and northwards upto compartment number 772, thereafter the western boundaries of compartment numbers 772, 771, 343, 342 and 341 upto the eastern boundary of revenue villages Chhirari and Umardih.

ANNEXURE- II

MAP OF KANHA TIGER RESERVE (KANHA NATIONAL PARK AND PHEN WILDLIFE SANCTUARY), ALONG WITH ECO-SENSITIVE ZONE

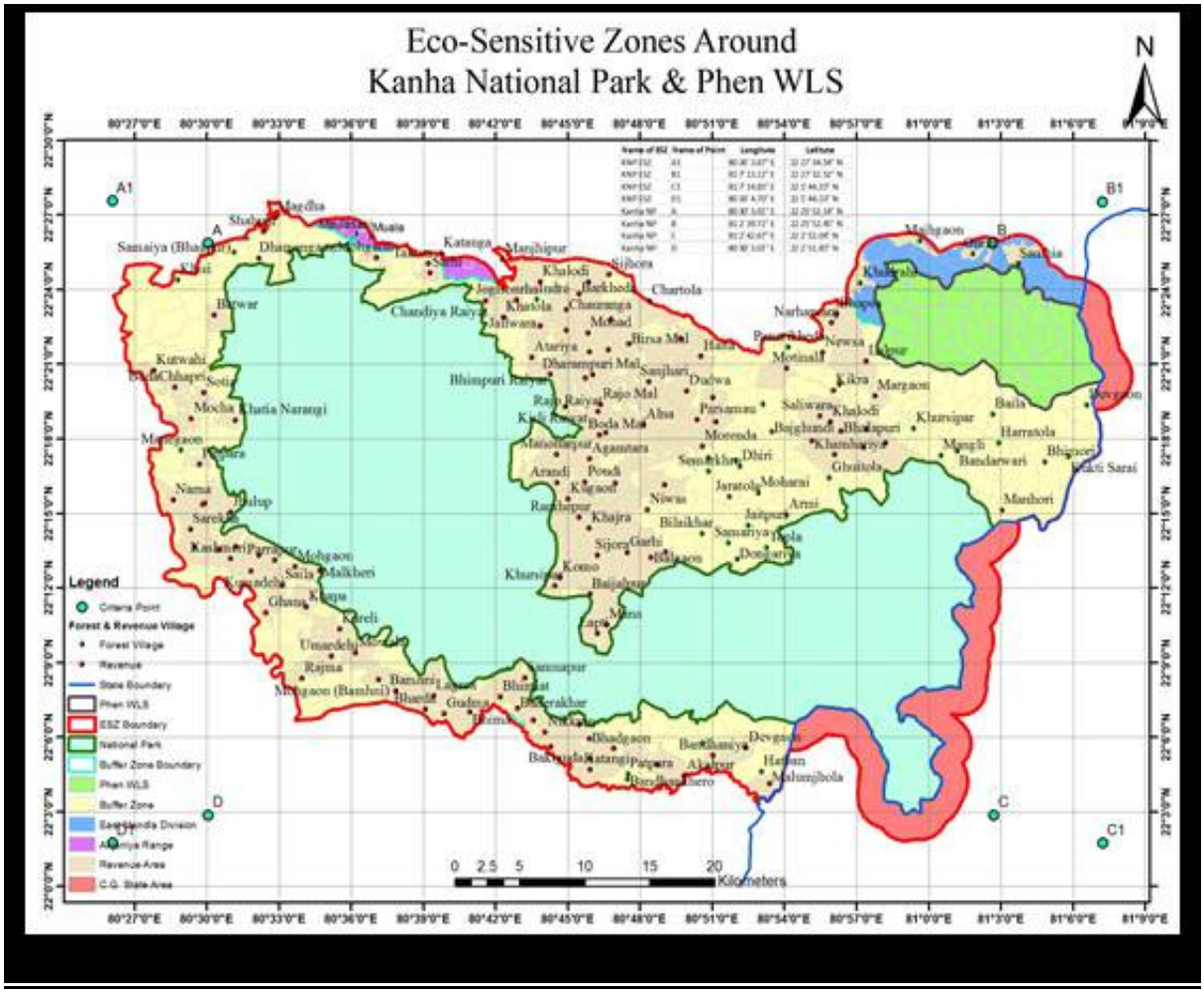

ANNEXURE III

TABLE A: GEO CO-ORDINATES OF BOUNDARY OF KANHA TIGER RESERVE (KANHA NATIONAL PARK AND PHEN WILDLIFE SANCTUARY), MADHYA PRADESH

Point Code	Latitude	Longitude
A	$22^0$25' 52.14" N	$80^0$30' 03.01"E
B	$22^0$25' 52.45" N	$81^0$02' 39.72"E
C	$22^0$02' 52.04" N	$81^0$02' 42.67"E
D	$22^0$02' 51.83" N	$80^0$30' 03.01"E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY OF KANHA TIGER RESERVE (KANHA NATIONAL PARK AND PHEN WILDLIFE SANCTUARY), MADHYA PRADESH

Point Code	Latitude	Longitude
A1	$22^0$27' 34.54" N	$80^0$26' 03.67"E
B1	$22^0$27' 32.52" N	$81^0$07' 13.12"E
C1	$22^0$01' 44.23" N	$81^0$07' 14.83"E
D1	$22^0$01' 44.23" N	$80^0$26' 04.70"E

ANNEXURE IV

LIST OF VILLAGES FALLING IN KANHA TIGER RESERVE (KANHA NATIONAL PARK AND PHEN WILDLIFE SANCTUARY) ECO–SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Name of ESZ	Name of Division	Name of Village	District	Longitude			Latitude		
1	Kanha	Buffer Zone	Agamtara	Balaghat	80	45	54.82	22	17	11.39
2	Kanha	Buffer Zone	Alna	Balaghat	80	48	9.66	22	18	33.93
3	Kanha	Buffer Zone	Amagahan	Balaghat	80	51	1.51	22	19	39.53
4	Kanha	Buffer Zone	Arandi	Balaghat	80	44	32.77	22	16	13.92
5	Kanha	Buffer Zone	Armi	Balaghat	80	54	4.83	22	14	56.91
6	Kanha	Buffer Zone	Attarchuha	Balaghat	80	51	10.11	22	18	40.18
7	Kanha	Buffer Zone	Baijalpur	Balaghat	80	45	55.13	22	11	45.21
8	Kanha	Buffer Zone	Bajghundi	Balaghat	80	53	28.99	22	18	16.73
9	Kanha	Buffer Zone	Balgaon	Balaghat	80	48	27.83	22	13	12.66
10	Kanha	Buffer Zone	Bhalapuri	Balaghat	80	49	4.28	22	13	26.18
11	Kanha	Buffer Zone	Bilaikhar	Balaghat	80	50	34.89	22	14	10.38
12	Kanha	Buffer Zone	Boda Mal	Balaghat	80	46	19.36	22	18	8.56
13	Kanha	Buffer Zone	Boda Raiyat	Balaghat	80	46	34.48	22	18	14.78
14	Kanha	Buffer Zone	Chartola	Balaghat	80	48	23.65	22	23	32.38
15	Kanha	Buffer Zone	Dhiri	Balaghat	80	52	8.07	22	16	52.78
16	Kanha	Buffer Zone	Dongariya	Balaghat	80	52	1.46	22	13	9.74
17	Kanha	Buffer Zone	Dudwa	Balaghat	80	49	55.78	22	19	54.8
18	Kanha	Buffer Zone	Garhi	Balaghat	80	47	28.42	22	13	25.48

19	Kanha	Buffer Zone	Ghorsibehra	Balaghat	80	50	50.13	22	17	13.6
20	Kanha	Buffer Zone	Ghuitola	Balaghat	80	55	51.73	22	16	26.29
21	Kanha	Buffer Zone	Jaitpuri	Balaghat	80	52	29.93	22	14	30.75
22	Kanha	Buffer Zone	Jaratola	Balaghat	80	51	42.96	22	15	40.33
23	Kanha	Buffer Zone	Juvaditola	Balaghat	80	53	49.59	22	14	24.39
24	Kanha	Buffer Zone	Khajra	Balaghat	80	45	53.03	22	14	23.41
25	Kanha	Buffer Zone	Khalodi	Balaghat	80	55	54.48	22	18	40.66
26	Kanha	Buffer Zone	Khirsari	Balaghat	80	53	6.48	22	19	23.17
27	Kanha	Buffer Zone	Khursipar	Balaghat	80	44	27.62	22	12	5.19
28	Kanha	Buffer Zone	Koilikhapa	Balaghat	80	49	1.02	22	16	8.57
29	Kanha	Buffer Zone	Komo	Balaghat	80	44	41.43	22	12	24.26
30	Kanha	Buffer Zone	Kugaon	Balaghat	80	45	0.22	22	15	35.07
31	Kanha	Buffer Zone	Kukarra	Balaghat	80	46	57.95	22	16	12.99
32	Kanha	Buffer Zone	Lapti	Balaghat	80	46	13.51	22	10	10.28
33	Kanha	Buffer Zone	Mana	Balaghat	80	46	37.47	22	10	31.22
34	Kanha	Buffer Zone	Moharai	Balaghat	80	52	54.6	22	15	48.56
35	Kanha	Buffer Zone	Morenda	Balaghat	80	50	35.48	22	17	41.17
36	Kanha	Buffer Zone	Morenda FV	Balaghat	80	51	57.64	22	17	7.53
37	Kanha	Buffer Zone	Niwas	Balaghat	80	48	18.4	22	15	8.6
38	Kanha	Buffer Zone	Pandutala	Balaghat	80	49	40.2	22	22	1.64
39	Kanha	Buffer Zone	Parsamau	Balaghat	80	50	23.09	22	18	45.13
40	Kanha	Buffer Zone	Pondi	Balaghat	80	45	42.57	22	16	15.55
41	Kanha	Buffer Zone	Ramhepur	Balaghat	80	45	27.44	22	14	50.17
42	Kanha	Buffer Zone	Samariya	Balaghat	80	51	39.24	22	13	48.62
43	Kanha	Buffer Zone	Sanjhari	Balaghat	80	48	22.17	22	20	16.78
44	Kanha	Buffer Zone	Semarkhro	Balaghat	80	50	50.59	22	16	42
45	Kanha	Buffer Zone	Sijora	Balaghat	80	46	14.44	22	13	18.27
46	Kanha	Buffer Zone	Topla	Balaghat	80	53	15.81	22	13	36.3
47	Kanha	Buffer Zone	Bamhni	Balaghat	80	37	51.72	22	7	50.8
48	Kanha	Buffer Zone	Bharda	Balaghat	80	39	4.56	22	7	7.34
49	Kanha	Buffer Zone	Bhilewani	Balaghat	80	31	11.44	22	13	39.37
50	Kanha	Buffer Zone	Bhima	Balaghat	80	40	55.88	22	7	0.2
51	Kanha	Buffer Zone	Charegaon	Balaghat	80	29	29.42	22	13	37.81
52	Kanha	Buffer Zone	Dhanwar Raiyat	Balaghat	80	29	48.96	22	15	21.51
53	Kanha	Buffer Zone	Dhanwar Theka	Balaghat	80	29	54.45	22	15	24.15
54	Kanha	Buffer Zone	Ghana	Balaghat	80	32	27.05	22	10	59.46
55	Kanha	Buffer Zone	Gudma	Balaghat	80	39	51.61	22	6	55.61
56	Kanha	Buffer Zone	Jhulup	Balaghat	80	30	58.77	22	15	2.34
57	Kanha	Buffer Zone	Kalegaon	Balaghat	80	32	9.21	22	13	18.55
58	Kanha	Buffer Zone	Kareli	Balaghat	80	35	31.68	22	10	20.54
59	Kanha	Buffer Zone	Kashmeri	Balaghat	80	30	58.69	22	13	10.22

60	Kanha	Buffer Zone	Khapa	Balaghat	80	34	7.88	22	11	14.68
61	Kanha	Buffer Zone	Kumadehi	Balaghat	80	31	50.17	22	12	40.46
62	Kanha	Buffer Zone	Lagma	Balaghat	80	39	24.96	22	7	39.24
63	Kanha	Buffer Zone	Malkheri	Balaghat	80	34	41.28	22	12	41.31
64	Kanha	Buffer Zone	Mohgaon	Balaghat	80	33	39.78	22	12	51.23
65	Kanha	Buffer Zone	Mohgaon (Bamhni)	Balaghat	80	37	8.49	22	8	18.49
66	Kanha	Buffer Zone	Mowala	Balaghat	80	36	10.98	22	9	22.25
67	Kanha	Buffer Zone	Narna	Balaghat	80	28	36.07	22	15	31.54
68	Kanha	Buffer Zone	Parrapur	Balaghat	80	32	48.51	22	13	6.32
69	Kanha	Buffer Zone	Parsatola	Balaghat	80	30	28.24	22	13	31.82
70	Kanha	Buffer Zone	Rajma	Balaghat	80	33	57.47	22	8	21.61
71	Kanha	Buffer Zone	Saila	Balaghat	80	33	9.04	22	12	6.95
72	Kanha	Buffer Zone	Sarekha	Balaghat	80	29	19.01	22	14	21.79
73	Kanha	Buffer Zone	Umardehi	Balaghat	80	35	10.08	22	9	15.22
74	Kanha	Buffer Zone	Akalpur	Balaghat	80	49	50.66	22	4	26.87
75	Kanha	Buffer Zone	Baherakhar	Balaghat	80	42	54.36	22	7	9.79
76	Kanha	Buffer Zone	Bakiguda	Balaghat	80	44	17.89	22	5	36.77
77	Kanha	Buffer Zone	Balgaon	Balaghat	80	45	28.54	22	6	30.34
78	Kanha	Buffer Zone	Bandhaniya	Balaghat	80	51	1.72	22	5	15.23
79	Kanha	Buffer Zone	Bandhankhero	Balaghat	80	47	28.59	22	4	17.88
80	Kanha	Buffer Zone	Basinkhar	Balaghat	80	43	34.7	22	6	40.38
81	Kanha	Buffer Zone	Bhadgaon	Balaghat	80	45	54.4	22	5	55.65
82	Kanha	Buffer Zone	Bhimlat	Balaghat	80	42	11.42	22	7	36.85
83	Kanha	Buffer Zone	Devgaon	Balaghat	80	52	24.83	22	5	34.18
84	Kanha	Buffer Zone	Hatban	Balaghat	80	53	2.35	22	4	36.73
85	Kanha	Buffer Zone	Jayrasi	Balaghat	80	48	41.95	22	4	53.42
86	Kanha	Buffer Zone	Jaysinghtola	Balaghat	80	45	56.59	22	5	8.08
87	Kanha	Buffer Zone	Katangi	Balaghat	80	45	55.9	22	4	40.81
88	Kanha	Buffer Zone	Malumjhola	Balaghat	80	53	23.53	22	4	7.21
89	Kanha	Buffer Zone	Nikkum	Balaghat	80	44	3.03	22	6	11.18
90	Kanha	Buffer Zone	Pandrapani	Balaghat	80	46	54.38	22	5	32.36
91	Kanha	Buffer Zone	Patpara	Balaghat	80	47	29.57	22	4	31
92	Kanha	Buffer Zone	Samnapur	Balaghat	80	43	13.09	22	8	22.91
93	Kanha	Buffer Zone	Saraipatera	Balaghat	80	50	36.02	22	5	45.92
94	Kanha	Buffer Zone	Hatta	Mandla	80	50	32.35	22	21	19.52
95	Kanha	Buffer Zone	Batwar	Mandla	80	30	18.24	22	22	58.76
96	Kanha	Buffer Zone	Boda Chhapri	Mandla	80	28	39.44	22	20	3.62
97	Kanha	Buffer Zone	Dhamangaon	Mandla	80	32	9.76	22	25	15.42
98	Kanha	Buffer Zone	Khatia Narangi	Mandla	80	31	11.21	22	18	44.05
99	Kanha	Buffer Zone	Khisi	Mandla	80	28	47.06	22	24	24.05
100	Kanha	Buffer Zone	Kutwahi	Mandla	80	27	47.72	22	20	45.33

101	Kanha	Buffer Zone	Manegaon	Mandla	80	28	54.03	22	17	32.81
102	Kanha	Buffer Zone	Mocha	Mandla	80	29	20.83	22	18	48.8
103	Kanha	Buffer Zone	Patpara	Mandla	80	29	42.17	22	16	58.2
104	Kanha	Buffer Zone	Samaiya (Bhagpur)	Mandla	80	31	7.32	22	25	29.71
105	Kanha	Buffer Zone	Sotia	Mandla	80	29	51.7	22	19	50.65
106	Kanha	Buffer Zone	Baila	Mandla	81	2	39.75	22	18	59.32
107	Kanha	Buffer Zone	Bandarwari	Mandla	81	1	10.87	22	17	29.31
108	Kanha	Buffer Zone	Bhalapuri	Mandla	80	56	20.94	22	18	18.26
109	Kanha	Buffer Zone	Bhapsa	Mandla	80	56	11.18	22	23	0.84
110	Kanha	Buffer Zone	Bhimdongri	Mandla	80	58	12.81	22	17	49.65
111	Kanha	Buffer Zone	Bhimori	Mandla	81	4	48.74	22	17	3.05
112	Kanha	Buffer Zone	Devgaon	Mandla	81	6	33.44	22	19	20.91
113	Kanha	Buffer Zone	Harratola	Mandla	81	2	53.92	22	17	49.24
114	Kanha	Buffer Zone	Khursipar	Mandla	80	59	22.42	22	18	24.75
115	Kanha	Buffer Zone	Kikra	Mandla	80	56	3.55	22	19	56.09
116	Kanha	Buffer Zone	Kikra (Khaksatand)	Mandla	80	56	17.22	22	20	10.96
117	Kanha	Buffer Zone	Kukti Sarai	Mandla	81	5	47.85	22	17	16.12
118	Kanha	Buffer Zone	Lalpur	Mandla	80	57	23.56	22	21	6.75
119	Kanha	Buffer Zone	Mangli	Mandla	81	0	29.76	22	17	19.84
120	Kanha	Buffer Zone	Manhori	Mandla	81	3	2.51	22	15	7.55
121	Kanha	Buffer Zone	Margaon	Mandla	80	57	45.94	22	19	43.49
122	Kanha	Buffer Zone	Motinala	Mandla	80	54	4.90	22	20	50.26
123	Kanha	Buffer Zone	Narharganj	Mandla	80	55	58.21	22	22	39.71
124	Kanha	Buffer Zone	Newsa	Mandla	80	55	35.61	22	21	27.7
125	Kanha	Buffer Zone	Panarikheda	Mandla	80	54	9.2	22	21	41.03
126	Kanha	Buffer Zone	Atariya	Mandla	80	43	30.65	22	21	15.91
127	Kanha	Buffer Zone	Barkheda	Mandla	80	45	27.72	22	23	48.83
128	Kanha	Buffer Zone	Bhimpuri Raiyat	Mandla	80	44	16.02	22	20	35.2
129	Kanha	Buffer Zone	Birsa Mal	Mandla	80	47	32.05	22	21	48.45
130	Kanha	Buffer Zone	Chandgoan Raiyat	Mandla	80	56	5.64	22	17	21.75
131	Kanha	Buffer Zone	Chandiya Raiyat	Mandla	80	41	35.25	22	23	32.94
132	Kanha	Buffer Zone	Chatuakhar	Mandla	80	44	57.19	22	22	21.32
133	Kanha	Buffer Zone	Chauranga	Mandla	80	44	56.03	22	23	11.09
134	Kanha	Buffer Zone	Dharampuri Mal	Mandla	80	46	2.00	22	20	34.85
135	Kanha	Buffer Zone	Dharampuri Raiyat	Mandla	80	45	43.53	22	20	26.32
136	Kanha	Buffer Zone	Indra	Mandla	80	43	42.05	22	23	36.9
137	Kanha	Buffer Zone	Indri Raiyat	Mandla	80	57	17.74	22	17	39.32
138	Kanha	Buffer Zone	Jailwara	Mandla	80	43	50.52	22	22	31.97
139	Kanha	Buffer Zone	Jogisonrha	Mandla	80	42	52.26	22	23	34.57
140	Kanha	Buffer Zone	Karanjiya	Mandla	80	46	47.13	22	22	46.78
141	Kanha	Buffer Zone	Katanga	Mandla	80	39	43.15	22	25	27.15

142	Kanha	Buffer Zone	Khalodi	Mandla	80	43	51.66	22	24	18.5
143	Kanha	Buffer Zone	Khalodi Raiyat	Mandla	80	45	51.36	22	24	18.58
144	Kanha	Buffer Zone	Khamhariya	Mandla	80	55	8.73	22	17	55
145	Kanha	Buffer Zone	Khatola	Mandla	80	42	19.08	22	22	53.15
146	Kanha	Buffer Zone	Kisli Raiyat	Mandla	80	44	54.64	22	19	17.26
147	Kanha	Buffer Zone	Magdha	Mandla	80	32	49.78	22	26	54.88
148	Kanha	Buffer Zone	Mangaveli Mal	Mandla	80	46	41.51	22	21	34.56
149	Kanha	Buffer Zone	Mangaveli Raiyat	Mandla	80	45	53.89	22	21	29.84
150	Kanha	Buffer Zone	Manjhipur	Mandla	80	42	17.18	22	25	13.55
151	Kanha	Buffer Zone	Manoharpur	Mandla	80	44	31.37	22	17	21.39
152	Kanha	Buffer Zone	Mohad	Mandla	80	45	49.73	22	22	15.07
153	Kanha	Buffer Zone	Mohgaon	Mandla	80	37	2.31	22	25	17.3
154	Kanha	Buffer Zone	Murkuta Raiyat	Mandla	80	57	24.77	22	18	23.94
155	Kanha	Buffer Zone	Rajo Mal	Mandla	80	46	21.97	22	19	22.97
156	Kanha	Buffer Zone	Rajo Raiyat	Mandla	80	46	15.25	22	19	5.6
157	Kanha	Buffer Zone	Saliwara	Mandla	80	55	29.29	22	18	54.77
158	Kanha	Buffer Zone	Sarhi	Mandla	80	39	16.25	22	24	40.09
159	Kanha	Buffer Zone	Shahpur	Mandla	80	32	21.57	22	26	19.5
160	Kanha	Buffer Zone	Sijhora	Mandla	80	46	42.23	22	24	36.2
161	Kanha	Buffer Zone	Taktua	Mandla	80	39	11.95	22	25	3.33
162	Kanha	East Mandla	Maulasani	Mandla	80	36	09.90	22	26	16.40
163	Kanha	East Mandla	Maula	Mandla	80	36	46.39	22	26	8.24
164	Phen	East Mandla	Majhgaon	Mandla	80	59	37.56	22	25	58.01
165	Phen	East Mandla	Khudrahi	Mandla	80	57	8.42	22	24	16.01
166	Phen	East Mandla	Sauthia	Mandla	81	3	40.72	22	25	1.32
167	Phen	East Mandla	Orai	Mandla	81	1	49.51	22	25	26.82

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.11.13 11:18:58 +05'30'